न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : जसमीत सिंह सधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 18/2020 अपील

उनवान

श्री माधुलाल पुत्र श्री नाथूलाल जाट निवासी देवपुरा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार बागौर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।
—रेस्पोडेण्ट

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध उप तहसीलदार, बागौर बसिलसिले प्र0सं0 80/2020 निर्णय दिनांक 10—08—2020

उपस्थित —

1. श्री अब्दुल रसीद पठान —अधिवक्ता अपीलार्थी।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या—1 की ओर से राजकीय अभिभाषक।

:: निर्णय ::

दिनांक : 19—03—2025

1— अपीलार्थी द्वारा मौजूदा अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवार हल्का बागौर की रिपोर्ट के आधार पर अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए ग्राम बागौर द्वितीय तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा की चरागाह आराजी संख्या 6033 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा भूमि में से 15 बिस्वा भूमि पर विक्रम संवत् 2077 खरीफ में 15 बिस्वा भूमि पर बाडा बनाकर अतिक्रमी मानते हुए बिना मौका निरीक्षण किये अपीलार्थी की चार दीवारी को ध्वस्त किये जाने एवं रू. 50/— जुर्माना से दण्डित किया है। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने मौजूदा अपील प्रस्तुत की।

2— अपीलार्थी का यह भी कथन रहा कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी ने जवाब पेश किया तथा विवादग्रस्त आराजी बाबत् मौका निरीक्षण करने हेतु कमिश्नर नियुक्त करने एवं पटवारी हल्का से जिरह करने हेतु प्रार्थनापत्र भी पेश किये, किन्तु दिनांक 10—08—2020 को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्ध विधि विपरित तरीके से बिना मौका निरीक्षण किये एवं बिना पटवार हल्का से अधिवक्ता द्वारा जिरह किये ही निर्णय पारित कर अपीलार्थी को तुरन्त बेदखल किये जाने की आज्ञा पारित कर दी गई।

3— अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों एवं अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत लिखित बहस के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अपीलार्थी के नाम पर कोई भूमि नहीं है। चरागाह आराजी संख्या 6033 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा में 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बागोर के भवन निर्माण हेतु दिनांक 26—12—2019 को जिला कलक्टर भीलवाड़ा के आदेश संख्या एफ—12—3(1) (बागोर) ( )/आरए/2019/3041दिनांक 26—12—2019 से आंवटित की गई है तथा उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य चालु है, जिसके भी बटा नम्बर नही डाल कर सम्पूर्ण रकबा ही बता रखा है तथा अपीलार्थी के नाम पर अन्य कोई आराजी दर्ज रेकॉर्ड नही है, फिर भी पटवारी हल्का ने मनमसुद तरीके से बिना राजस्व रेकॉर्ड देखे ही धारा 91 की रिपोर्ट दिनांक 03—07—2020 बनाकर मनमाने ढ़ग से अतिक्रमण

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा